अति आवश्यक
स्मरण पत्र द्वितीय
पेंशन प्रकरण/फैक्स द्वारा

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2013/1385 दिनाँक : 07/11/13.

संबंधित संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
जोन।

विषय : बकाया पेंशन प्रकरणों की वर्तमान स्थिति की सूचना भिजवाने बाबत्

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि निदेशालय के समसंख्य पत्रांक 1329 दिनाँक 23.10.2013 के द्वारा आपके अधीन जिलो में जिन कार्मिकों के पेंशन प्रकरण बकाया चल रहे हैं, उनकी सूची अनुसार बकाया पेंशन प्रकरणों की नवीनतम/वर्तमान स्थिति में निर्धारित प्रपत्र में फैक्स नम्बर 0141–2222683 पर एवं दिनाँक 25.10.2013 को प्रातः 11.00 बजे तक तथा पुनः स्मरण पत्र कमांक 1336 दिनाँक 28.10.2013 के द्वारा दिनाँक 29.10.2013 तक व्यक्ति विशेष के साथ चाही गई थी। किन्तु खेद का विषय हैं कि आपके स्तर से वांछित सूचना आज दिवस तक अपेक्षित हैं, जो कि उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता हैं।

उक्त प्रकरण में दिनाँक 12.11.2013 को माननीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष बकाया पेंशन प्रकरणों की नवीनतम स्थिति प्रस्तुत की जानी हैं।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता हैं कि पूर्व पत्रानुसार आपके संबंधित जिलो में कार्मिकों के बकाया पेंशन प्रकरणों की नवीनतम/वर्तमान स्थिति की संकलित रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में तत्काल आवश्यक रूप अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। विलम्ब की स्थिति में आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को अवगत करवा दिया जायेगा। जिसके आप स्वंय व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

(के.एल.स्वामी)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2013/1385 दिनाँक : 07/11/13.

प्रतिलिपी निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. उप रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर को उनके पत्रांक 13/17/745/9529 दिनाँक 11.10.2013 के कम में।
2. संबंधित अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त पत्र तत्काल विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर

J.Gaur